राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर—7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ—226027
दूरभाष एवं फैक्सः 0522—2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक—3375/241/NULM/तीन/2017-ALF Award दिनांक—13/09/2018

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त,
   नगर निगम,
   उ0प्र0।
3. समस्त परि0 निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर,
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर
   पंचायत, उ0प्र0।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड के दिशानिर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत "स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड" की निर्गत विस्तृत संलग्न गाइडलाइन पत्र सं0—K-12012(6)/2/2018(E-9045646) दिनांक 23.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से वर्ष 2018—19 में निम्नलिखित अवार्ड दिये जाने की घोषणा की है :—

1. सिटी स्वच्छता लाइवलीहुड अवार्ड — नगरीय निकायों हेतु।
2. स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड फार एरिया लेवल फेडरेशन्स(ALF) — ALF हेतु।
3. स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड फार सिटी लेवल फेडरेशन्स(CLF) — CLF हेतु।

उल्लेखनीय है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा "स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड" का शुभारम्भ विगत वर्ष 2017—18 में किया गया था, जिसमें (DAY-NULM) के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत ALF को अवार्ड दिया गया था, जिसमें विभिन्न प्रदेश के साथ ही उ0प्र0 के सुलतानपुर से 2 ALF , वाराणसी से 01 ALF तथा प्रतापगढ़ से 01 ALF को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मिला था।

भारत सरकार द्वारा 2018—19 मे स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड फार ALF के साथ ही स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड फार CLF एवं सिटी स्वच्छता लाइवलीहुड अवार्ड फार ULBs का भी शुभारम्भ किया गया है।

उक्त अवार्ड ALF/CLF द्वारा स्वच्छता एवं सफाई के क्षेत्र में किये गये/किये जा रहे उत्कृष्ठ कार्यो हेतु किया गया है तथा नगरीय निकायों द्वारा SHG, ALF, एवं CLF के माध्यम से पहल कर स्वच्छता, सफाई (सफाई कर्मचारियों हेतु कौशल प्रशिक्षण) एवं कूड़ा कचरा निस्तारण आदि के क्षेत्रों के साथ ही अन्य अभिनवी माध्यम से आजीविका का सृजन कर लोगों को लाभान्वित किया है/कर रहे हैं के उत्कृष्ठ एवं अभिनवी प्रयासों को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित किये जाने हेतु किया गया है।

I. सिटी स्वच्छता लाइवलीहुड अवार्ड (City Swachhata Livelihood Award)

उक्त अवार्ड नगरीय निकायों द्वारा स्वच्छता सम्बन्धी आजीविका के क्षेत्र में किये जा रहे उत्कृष्ठ प्रयासों के लिए है, जो निम्नवत है :—

- स्वच्छता एवं कूड़ा कचरा निस्तारण हेतु सामुदायिक ढ़ाचों (SHG, ALF, एवं CLF) को नगरीय निकाय से कार्य/ठेका देना।

- सफाई कर्मचारियों/सैनीटेशन कर्मचारियों हेतु कौशल प्रशिक्षण का आयोजन एवं उनके पूर्व के लर्निंग को मान्यता देने सम्बन्धी कार्यक्रमों का अनुभव।
- सैनीटेशन से सम्बन्धित इन्टर प्रिनियोरशिप विकास कार्यो हेतु क्रेडिट को सुगम बनाते हुए आजीविका का सृजन किया जाना।
- स्वच्छता एवं कूड़ा कचरा निस्तारण के क्षेत्र में कोई भी अन्य अभिनवी कार्य जिसके माध्यम से सम्मानजनक आजीविका सृजन का कार्य कर लोगों को लाभान्वित किया जाना।

पुरस्कार (अवार्ड) धनराशि

दिये जाने वाले अवार्ड पुरस्कार का विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	**शहरी निकायों का विवरण**	**प्रथम पुरस्कार**	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
1	Cities with population over 1 Million	Rs. 10,00,000	Rs. 7,50,000	Rs. 5,000,00
2	AMRUT Cities with population < 1Million	Rs. 10,00,000	Rs. 7,50,000	Rs. 5,000,00
3	Cities in Aspirational Districts excluding AMRUT cities	Rs. 10,00,000	Rs. 7,50,000	Rs. 5,000,00
4	All other statutory Towns	Rs. 10,00,000	Rs. 7,50,000	Rs. 5,000,00

सिटी स्वच्छता लाइवलीहुड अवार्ड में आवेदन हेतु पैरामीटर्स –

निम्नलिखित कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन/संचालन–

1). म्यूनिसिपल कान्ट्रेक्ट के माध्यम से स्वच्छता एवं कूड़ा, कचरा निस्तारण एवं प्रबन्धन के कार्य में एस0एच0जी0, ए0एल0एफ0 एवं सी0एल0एफ0 को कार्य आवंटन।

क्र. सं.	**मापदण्ड Criteria**	**सत्यापन हेतु वांछित अभिलेख Verification Documents**
1	सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का संचालन एवं अनुरक्षण (O&M)	SHG के साथ किये गये कान्ट्रैक्ट की प्रति (अभिलेख) जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख हो :– 1) समयावधि (उक्त कार्य में संलिप्तता की तिथि जबसे उक्त सामुदायिक ढांचा कार्य कर रहा है।) 2) कार्य क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख कि कितने वार्ड/परिवारों के साथ कार्य कर रहा है। 3) कार्य कर रहे SHG को दिये गये स्वास्थ्य सेफ्टी एवं तकनीकी विधियों के प्रशिक्षण का प्रमाण/अभिलेख।
2	म्यूनिसिपल स्कूल अथवा म्यूनिसिपल कार्यालय के शौचालयों का संचालन एवं अनुरक्षण	
3	व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण/अस्वच्छ शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करना।	
4	कूड़ा, कचरा प्रबन्धन के अन्तर्गत घरों से कूड़ा उठाने का कार्य।	
5	कूड़ा, कचरा प्रबन्धन के अन्तर्गत साफ–सफाई का कार्य।	
6	कूड़ा, कचरा प्रबन्धन हेतु सूखे कूड़े को अलग कर प्रसंस्करण (Processing and disposal) एवं निपटान का कार्य।	
7	सेप्टिक टैंक/दोहरे टैंक का निर्माण उनकी सफाई का कार्य।	
8	स्वच्छता एवं सफाई सम्बन्धी सामग्री जैसे–फिनाइल, सैनेटरी पैड आदि की नगरीय निकायों को सप्लाई।	
9	कूड़ा–कचरा प्रबन्धन एवं खुले मे शौच मुक्त (ODF) हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री (IEC) का निर्माण।	
10	सिटी सेनीटेशन टास्क फोर्स में SHG को (Engage) करना।	
11	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत (Engaged) SHG सदस्यों की संख्या।	

2) सैनीटेशन वर्कर/सफाई कर्मियों हेतु कौशल प्रशिक्षण एवं उनके पूर्व के अनुभव (RPL) कार्यक्रमों का आयोजन –

1. नगरीय निकायों में स्वच्छता सम्बन्धित कार्य कर रहे सभी सफाई कर्मियों (स्वयं के पेरोल पर अथवा संविदा/आउटसोर्सिंग) को RPL कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण से आच्छादन। 2. सेफ्टी उपकरणों का उपयोग कराना एवं अनुश्रवण।	• सभी सफाई कर्मियों हेतु आयोजित RPL कार्यक्रम के आयोजन के प्रमाण। • सेफ्टी उपकरणों के उपयोग एवं अनुश्रवण के फोटोग्राफ्स।

3) सैनीटेशन से सम्बन्धी इन्टरप्रन्योरशिप विकास कार्यो हेतु क्रेडिट –

सैनीटेशन सम्बन्धी इन्टरप्रन्योरशिप हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत मकेनाइज्ड डी–स्लॉडिंग विहेकिल वेस्ट सेग्रीगेशन सेन्टर, कम्पोस्टिंग इक्यूपमेन्ट हेतु ऋण।	• De-Sludging सर्विस प्रोवाइडर से साक्षात्कार। • निकाय में सुरक्षित तरीके से किये जा रहे mechanized de-Sludging के फाटो प्रमाण।

4) अन्य गतिविधियाँ

अभिनवी तरीके से अनौपचारिक क्षेत्र के मैनुअल स्कैवेंजर्स/सैनीटेशन वर्कर्स हेतु आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, पुर्नवासन करना, अन्य सरकारी योजनान्तर्गत इन्टाइटिल रिलाइजेशन का कार्य।	• अनौपचारिक क्षेत्र के मैनुअल स्कैवेंजर्स/सैनीटेशन वर्कर्स हेतु आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, पुर्नवासन आदि के क्षेत्र में किये गये कार्य का प्रमाण।

नगरीय निकायों द्वारा उक्त के अतिरिक्त उनके द्वारा स्वच्छता, साफ–सफाई एवं कूड़ा, कचरा निस्तारण के क्षेत्र में आजीविका, पुनर्वासन आदि से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों का विवरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

II. ALF हेतु स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड –

ALF हेतु स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड विगत वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत इस वर्ष कतिपय संशोधन किया गया है। संशोधित गाइडलाइन के अनुसार गठित ALF को स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों के माध्यम से आजीविका सृजन एवं इन्टरप्रिन्योरशिप पर विशेष बल दिया गया है तथा इस क्षेत्र में किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यो हेतु स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार अर्हताएं निम्नवत् हैं :–

1. ALF को राज्य के विधिक नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए (सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत) तथा ALF ने दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत प्राविधानित रिवाल्विंग फण्ड रू0 50,000.00 प्राप्त कर लिया हो।
2. ALF द्वारा नियमित बैठकों का आयोजन किया जा रहा हो और बैठकों में साफ–सफाई को एक एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित किया जा रहा हो जो बैठकों के कार्यवृत्त से परिलक्षित हो रहा हो।
3. ALF द्वारा अपने क्षेत्र विशेष मे स्वच्छता जागरूकता अभियान में सक्रिय भागेदारी करते हुए स्वच्छता एवं सफाई के प्रति क्षेत्र मे वृहद प्रचार–प्रसार के माध्यम से सफाई के प्रति आदतों का विकास तथा जल प्रवाहित शौचालयों के निर्माण/परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी हो/जा रही हो।

4. ALF द्वारा स्वच्छता एवं सफाई के अभिनवी प्रयास कर सफलता प्राप्त की हो जिससे निकाय को खुले मे शौच मुक्त निकाय बनाने मे, कूडा कचरा निस्तारण हेतु, वातावरण के अनुरूप वेस्ट वाटर एवं कूडा–कचरा को दोबारा उपयोग युक्त बनाये जाने के किये गये प्रयासों के अभिलेखीकरण का प्रमाण होना।

5. ALF में सैनीटेशन सब कमेटी का गठन हो।

<u>पुरस्कार</u>

1. प्रथम पुरस्कार – रू0 2,00,000 (लाख)
2. द्वितीय पुरस्कार – रू0 1,50,000 (लाख)
3. तृतीय पुरस्कार – रू0 1,00,000 (लाख)

III. स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड फार सिटी लेवल फेडरेशन्स (CLF)-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत इस बार CLF को भी स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है। CLF द्वारा स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों के माध्यम से आजीविका सृजन के कार्यक्रमों का अनिवार्य रूप से संचालन किया जा रहा हो। उक्त कार्यक्रम का संचालन आय सृजन के आधार पर अथवा निकाय के द्वारा CLF को सैनीटेशन सर्विस डिलीवरी के कार्य हेतु कान्ट्रैक्ट दिया गया हो।

<u>पुरस्कार</u>

1. प्रथम पुरस्कार – रू0 2,50,000 (लाख)
2. द्वितीय पुरस्कार – रू0 2,00,000 (लाख)
3. तृतीय पुरस्कार – रू0 1,50,000 (लाख)

इस प्रकार ALF/CLF को उक्त अवार्ड हेतु नामित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन सूडा उ0प्र0 के वेबसाइट पर अपलोड है। गाइडलाइन का अध्ययन कर शहर में पंजीकृत ALF/CLF को मानकों के अनुसार तैयार कराकर भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के Annexure-2 पर ALF तथा Annexure-3 पर CLF हेतु संलग्न प्रारूप में सुचारू रूप से भरकर आवश्यक सभी अभिलेखों के साथ जिला/शहर स्तर पर अर्ह ALF/CLF के प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों/नामांकन का मूल्यांकन शहर/जिला स्तरीय "चयन समिति" के माध्यम से किया जायेगा। मूल्यांकन उपरान्त शहर/जिला स्तर पर चयनित आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथियों तक निर्धारित प्रारूप में एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा के माध्यम से चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

1. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर – अध्यक्ष
2. प्रोजेक्ट आफिसर, डूडा – सदस्य
3. प्रोजेक्ट मैनेजर PMU, SBM – सदस्य

   अथवा

   स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकत्री

   (यदि SBM का PMU शहर में नहीं है तो)

शहर/जिला स्तरीय चयन समिति, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के Annexure-2 पर ALF तथा Annexure-3 पर CLF के आवेदन हेतु दिये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्रों/नामांकन का परीक्षण कर एस0एम0एम0यू0 सूडा उ0प्र0 को निधारित तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सभी नामांकन प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को ससमय भेजा जा सके।

सिटी स्वच्छता लाइवलीहुड अवार्ड हेतु आवेदन भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के साथ संलग्न–एनेक्जर–1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर उल्लिखत पते पर सीधे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को 31.10.2018 तक भेजा जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सिटी स्वच्छता लाइवलीहुड अवार्ड हेतु सम्बन्धित निकायों को सीधे भारत सरकार को नामांकन/आवेदन किये जाने हेतु निर्देशित करने के साथ ही दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरों में पंजीकृत एवं रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त ALF एवं पंजीकृत CLF का उपरोक्त के आलोक में गाइडलाइन के अनुसार अर्हता सुनिश्चित कराकर नामांकन हेतु क्रियाशील ALF/CLF का नामांकन SMMU, सूडा से समन्वय कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप Annexure-2 एवं 3 के अनुसार तैयार कर चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को 15.10.2018 तक हार्ड एवं साफ्ट प्रतियों मे ई–मेल nulmup@gmail.com & pmusuda@gmail.com के द्वारा उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

संलग्नक–यथोपरि (स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड गाइडलाइन)

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड की गाइडलाइन की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से नगरीय निकायों को सिटी स्वच्छता लाइवलीहुड अवार्ड हेतु सीधे भारत सरकार को आवेदन भेजे जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. परियोजना अधिकारी/सी0एम0एम0–एस0डी0आई0 को आर0ओ0 से समन्वय कर ससमय अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु। (समस्त)
4. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड गाइडलाइन 2018–19 के नाम से अपलोड हेतु।

12/9/2018

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

File No.K-12012(6)/2/2018-PI-UD

K-12012(6)/2/2018 (E-9045646)

Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
(UPA-II Section)
***

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated- 23rd August, 2018

To,

Principal Secretary (UD &H),
All States/ UTs

Subject:- Swachhta Excellence Award 2018-19 under DAY-NULM- forwarding of guidelines-reg.

Sir/Madam,

I am directed to say that Ministry of Housing & Urban Affairs (M/o H&UA) has decided to institute Swachhta Excellence Award for the Area Level Federations (ALFs) which carry out exemplary work in the field of sanitation and cleanliness and to forward herewith the Guidelines for Swachhta Excellence Awards 2018-19 for Area Level Federations (ALFs)/ Self Help Groups (SHGs).

2. The award is meant for the Area Level Federations (ALFs)/ Self Help Groups (SHGs) formed/restructured under DAY-NULM. States may recommend entries as per guidelines, out of which entries from respective States will be selected for 1st, 2nd and 3rd prize awards.

Encl:- as above.

Yours faithfully

23/8/18

(Surender Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele/Fax: 23061185

Copy to:- Mission Directors, SULM (All States/UTs)

email 27/08/18 Attachment 25 Pages

AD/PO NULM 23/8/18

1932/ADLS
PO-NULM
24/8/2018

29/8/18